

वसई विरार शहर महानगरपालिका

मा. सर्वसाधारण सभा दिनांक २०/०१/२०१६

सायं ४.३० वा.

| अ.क्र. | विषयाचे नाव | मा. सर्वसाधारण सभेचा निर्णय | | | |
|--------|--|--|-----------|--|---|
| १ | मागील मा. सर्वसाधारण सभा दि. १७/१२/२०१५ रोजीचे इतिवृत्त कायम करणे. | ठराव :- मागील मा. सर्वसाधारण सभा दि. १७/१२/२०१५ रोजीचे इतिवृत्त कायम करणेत येत आहे. अनुमोदक - संदिप पाटील सुचक - फ्रान्सिस डिसोजा (आपटे) ठराव सर्वानुमते मंजूर | | | |
| २ | प्रश्नोत्तरे | १ | २०/१/२०१६ | श्री. धनंजय विठ्ठल गावडे | सन २०११ पासून रस्ते सफाई, औषध फवारणी, गटार सफाईकामी मे. उजाला लेबर कॉन्ट्रॅक्टर, मे. अनंत एंटरप्रायजेस, मे. हेना एंटरप्रायजेस, मे. दिनेश संखे, मे.रिलायबल एजन्सी, मे.स्वागत लेबर, मे.लोकसेवा सर्व्हिसेस, मे. साई गणेश, मे.शिवम एंटरप्रायजेस, मे.आर.बी. इन्फ्रा. या ठेकेदारांनी ठेका कामगारांची हजेरी बायोमेट्रीक पध्दतीने घेतली काय ? त्यानुसार वेतन दिले काय ? केलेला ठराव, करारनाम्यातील अटी/शर्तीचे उल्लंघन त्यास जबाबदार ठेकेदार व अधिकारी कोण ? त्यांचेवर केलेली कारवाई. |
| | | अनुमोदक - संदिप पाटील सुचक - फ्रान्सिस डिसोजा (आपटे) ठराव सर्वानुमते मंजूर | | | |
| ३ | शासकीय पत्रव्यवहार माहितीस्तव | १ | | महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, (शासन निर्णय) मंत्रालय, मुंबई - ३२ | |
| | | अनुमोदक - प्रकाश रॉड्रीक्स सुचक - फ्रान्सिस डिसोजा (आपटे) ठराव सर्वानुमते मंजूर | | | |
| ४ | श्रीमती विधीता विजय वळंजे यांना लाड कमिटी शिफारसी नुसार सफाई कामगार या पदावर सामावून घेणेबाबत. | निर्णय/ ठराव :- वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती-आय, वसई येथील सफाई कर्मचारी कै.विजय महादेव वळंजे यांचे सेवेत असताना दि. २१ डिसेंबर,२०१४ रोजी निधन झाले आहे. त्यांच्या पत्नी श्रीमती विधीता विजय वळंजे (वय ३९) या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. सफाई -२०१५/प्र. क्र. २६८/ महामंडळे, दिनांक १० नोव्हेंबर २०१५ मधील तरतुदीनुसार वारसहक्क नियुक्तीसाठी पात्र असल्याने त्यांना लाड कमिटीच्या शिफारसीनुसार वारस हक्काने महानगरपालिका सेवेत "सफाई कामगार" या पदावर सामावून घेणेस हि महासभा मान्यता देत आहे. | | | |

| | | |
|---|---|--|
| | | अनुमोदक - नितिन दिनानाथ राऊत सुचक - फ्रान्सिस डिसोजा (आपटे) ठराव सर्वानुमते मंजुर |
| ५ | वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती आय वसई आस्थापनेवरील कर्मचारी श्रीमती लक्ष्मी भगवान वाघ, सफाई कामगार यांना स्वेच्छानिवृत्ती देणेबाबत. | निर्णय :- वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती - आय, वसई येथील कर्मचारी श्रीमती लक्ष्मी भगवान वाघ यांना मणक्याचा आजार असल्याने मणक्यावर शस्त्रक्रिया केली आहे व शस्त्रक्रियेनंतर त्यांना शारिरिक थकवा जाणवत असल्याने महानगरपालिका सेवेतील स्वेच्छा निवृत्ती मिळणेबाबत विनंती केली आहे. श्रीमती लक्ष्मी वाघ यांची २० वर्षांची अर्हताकारी सेवा पूर्ण झाली असल्याने त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ मधील नियम ६६(१) नुसार त्यांची स्वेच्छा निवृत्तीची नोटीस स्विकारून नोटीसीस तीन महिने पूर्ण झालेनंतर दिनांक ०१/०२/२०१६ रोजी मध्यान्होत्तर त्यांना महानगरपालिका सेवेतून स्वेच्छा निवृत्त करणेस मान्यता देणेत येत आहे. तसेच श्रीमती लक्ष्मी वाघ यांना स्वेच्छा निवृत्तीनंतरचे देय असलेले अनुषंगिक लाभ अदा करणेस प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी देणेत येत आहे. अनुमोदक - नितिन दिनानाथ राऊत सुचक - फ्रान्सिस डिसोजा (आपटे) ठराव सर्वानुमते मंजुर |
| ६ | श्रीमती वासंती शिवराम पवार, सेवानिवृत्त सफाई कामगार यांची मुलगी सुजाता शिवराम पवार यांना लाड कमिटी शिफारसी नुसार सफाई कामगार या पदावर सामावून घेणेबाबत. | निर्णय/ठराव :- नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक ११/८/२००६ व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक २१/१०/२०११ नुसार लाड समितीचे शिफारसीनुसार वारसा हक्क पध्दतीने श्रीमती वासंती शिवराम पवार यांची वारस मुलगी कु. सुजाता शिवराम पवार यांना महानगरपालिकेच्या सेवेत "सफाई कामगार" या पदावर नियुक्ती देण्यास आजची ही महासभा मंजूरी देत आहे. अनुमोदक - प्रज्ञा देसाई सुचक - फ्रान्सिस डिसोजा (आपटे) ठराव सर्वानुमते मंजुर |
| ७ | वसई-विरार शहर महानगरपालिका आस्थापनेवरील मयत सफाई कामगाराच्या वारसास वारसाहक्क पध्दतीने महानगरपालिका सेवेत समावून घेणेबाबत. | ठराव / निर्णय :- नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक ११/८/२००६ व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक २३/१०/२०११ नुसार लाड समितीचे शिफारसीनुसार वारसा हक्क पध्दतीने श्री. सोमा भिका सोलंकी यांचा वारस मुलगा श्री. कालिदास सोमा सोलंकी यांना महानगरपालिकेच्या सेवेत "सफाई कामगार" या पदावर नियुक्ती देण्यास आजची ही महासभा मंजूरी देत आहे. अनुमोदक - नितिन दिनानाथ राऊत सुचक - फ्रान्सिस डिसोजा (आपटे) ठराव सर्वानुमते मंजुर |
| ८ | श्री. सुखदेव दरवेशी, स्वच्छता निरीक्षक, वसई-विरार शहर महानगरपालिका | ठराव/निर्णय :- श्री. सुखदेव दरवेशी, स्वच्छता निरीक्षक यांचेविरुद्धच्या शिस्तभंगाच्या कारवाईसंदर्भात प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. चर्चेअंती सदर प्रस्ताव सध्या तहकूब ठेवावा, असा निर्णय ही महासभा एकमताने घेत आहे. |

| | यांचेविरुद्धच्या विभागीय चौकशीच्या अहवालावर निर्णय घेणेबाबत. | अनुमोदक - धनंजय गावडे सुचक - फ्रान्सिस डिसोजा (आपटे) ठराव सर्वानुमते मंजूर | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|------------|---|-----------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|-----|-----|-----|
| ९ | श्रीमती संध्या सबनिस, सहा. अंतर्गत लेखा परिक्षक, वसई-विरार शहर महानगरपालिका यांचेविरुद्धच्या विभागीय चौकशीच्या अहवालावर निर्णय घेणेबाबत. | ठराव/निर्णय :- श्रीमती संध्या सबनिस, सहाय्यक अंतर्गत लेखा परीक्षक यांचेविरुद्धच्या शिस्तभंगाच्या कारवाईसंदर्भात प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. चर्चेअंती सदर प्रस्ताव सध्या तहकूब ठेवावा, असा निर्णय ही महासभा एकमताने घेत आहे. अनुमोदक - चंद्रकांत गोरीवले सुचक - फ्रान्सिस डिसोजा (आपटे) ठराव सर्वानुमते मंजूर | | | | | | | | | | | | | | | |
| १० | १) श्री. सुरेश थोरात, वरिष्ठ लिपिक, २) श्री. अरविंद नाईक, वरिष्ठ लिपिक, ३) श्री. विजय पाटील, लिपिक, ४) श्री. निंबा पवार, वरिष्ठ लिपिक या चार कर्मचाऱ्यांचे निलंबनाबाबत. | ठराव/निर्णय :- १) श्री. सुरेश थोरात, वरीष्ठ लिपिक, २) श्री. अरविंद नाईक, वरीष्ठ लिपिक, ३) श्री. विजय पाटील, लिपिक, ४) श्री. निंबा पवार, वरिष्ठ लिपिक या चारही निलंबित कर्मचाऱ्यांना निर्वाह भत्ता दिला जातो, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. यास्तव या कर्मचाऱ्यांना घरी बसून निर्वाह भत्ता देण्यापेक्षा त्यांना त्यांचेविरुद्ध सुरु असलेल्या विभागीय चौकशीतील निर्णयाच्या अधिन राहून सेवेत पुनःस्थापित करावे, जनतेशी थेट संपर्क नसलेल्या अकार्यकारी पदावर त्यांची नेमणूक करावी तसेच त्यांचेविरुद्धची विभागीय चौकशी लवकर पूर्ण होईल, यासाठी प्रशासनाने आवश्यक कार्यवाही करावी व त्याबाबतची माहिती महासभेस अवगत करावी, असा निर्णय ही महासभा घेत आहे. अनुमोदक - चंद्रकांत गोरीवले सुचक - फ्रान्सिस डिसोजा (आपटे) ठराव सर्वानुमते मंजूर | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११ | सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाकरीता महानगरपालिकेस अभिकर्त्यांमार्फत विविध सेवा प्राप्त करून घेणेकामी वार्षिक ई-निविदा मागविणे कामी आर्थिक व प्रशासकीय मंजूरी मिळणेबाबत. | ठराव/निर्णय :- महानगरपालिकेच्या एकुण नऊ प्रभाग समित्या आहेत. महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सध्याचा कार्यरत कर्मचारीवर्ग अपुरा पडत असल्याने बांधकाम, पाणीपुरवठा, सामान्य प्रशासन, सार्व. आरोग्य, सार्व. वाचनालय, अग्निशमन विभाग, वाहन, महिला व बालकल्याण, दिवाबत्ती इत्यादी विभागातील प्रशासकीय, विकास व तांत्रिक कामे करण्यासाठी सन २०१४-१५ साठी मनुष्यबळ पुरवठा करणेकामी अभिकर्त्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. या अभिकर्त्यांची मुदत दिनांक ३१/३/२०१५ रोजी संपत असल्याने सन २०१५ - २०१६ या वित्तीय वर्षासाठी मनुष्यबळ पुरवठा करणेकामी अभिकर्ता नेमणे गरजेचे असल्याने मा. महासभा ठराव क्र.१९ दि.१४/०१/२०१५ अन्वये आर्थिक व प्रशासकिय मान्यता दिलेली होती. दरम्यानच्या काळात मा.स्थायी समिती, ठराव क्र.८० दिनांक १३/०४/२०१५ अन्वये पुढील निविदा प्रक्रीया होईपर्यंत संध्याच्या अभिकर्त्यास मुदतवाढ दिलेली असून त्यांची देयके अदा करणेस आर्थिक व प्रशासकिय मंजूरी दिलेली आहे. विविध प्रशासकीय, विकास व तांत्रिक कामे करण्यासाठी कार्यरत कर्मचारी अपुरा पडणार असल्याने सन २०१६-१७ या वित्तीय वर्षासाठी खाली नमुद केलेल्या मंजूर रिक्त पदांवर ई-निविदा प्रक्रीया राबडून अभिकर्त्यांमार्फत कंत्राटी पध्दतीने कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यास ही महासभा प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देत आहे. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>अ.क्र.</th> <th>संवर्ग</th> <th>मंजूर पदे</th> <th>भरलेली पदे</th> <th>बाह्य यंत्रणेद्वारे कंत्राटीपध्दतीने मागणी करावयाच्या पदांची संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>२</td> <td>३</td> <td>४</td> <td>५</td> </tr> <tr> <td>१</td> <td>लिपिक टंकलेखक</td> <td>४०५</td> <td>२००</td> <td>२०५</td> </tr> </tbody> </table> | अ.क्र. | संवर्ग | मंजूर पदे | भरलेली पदे | बाह्य यंत्रणेद्वारे कंत्राटीपध्दतीने मागणी करावयाच्या पदांची संख्या | १ | २ | ३ | ४ | ५ | १ | लिपिक टंकलेखक | ४०५ | २०० | २०५ |
| अ.क्र. | संवर्ग | मंजूर पदे | भरलेली पदे | बाह्य यंत्रणेद्वारे कंत्राटीपध्दतीने मागणी करावयाच्या पदांची संख्या | | | | | | | | | | | | | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | | | | | | | | | | | | | |
| १ | लिपिक टंकलेखक | ४०५ | २०० | २०५ | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|----|----------|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|-----------------|----|---|----|---|-----------------------------|-----|---|----|---|----------------------------|----|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|---|---|---|----|--------|-----|----|-----|----|---------------------------------|----|----|----|----|-------------|---|---|---|----|-----------|----|----|---|
| | | <table border="1"> <tr> <td>२</td> <td>ग्रंथपाल</td> <td>२</td> <td>-</td> <td>२</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>सहा.ग्रंथपाल</td> <td>८</td> <td>१</td> <td>७</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>आरोग्य निरीक्षक</td> <td>४८</td> <td>७</td> <td>३९</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)</td> <td>१३५</td> <td>-</td> <td>७०</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)</td> <td>२९</td> <td>१</td> <td>५</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक)</td> <td>८</td> <td>-</td> <td>२</td> </tr> <tr> <td>८</td> <td>कनिष्ठ अभियंता (Computer Software)</td> <td>७</td> <td>-</td> <td>१</td> </tr> <tr> <td>९</td> <td>कनिष्ठ अभियंता (Computer Hardware)</td> <td>२</td> <td>-</td> <td>१</td> </tr> <tr> <td>१०</td> <td>फायरमन</td> <td>१४७</td> <td>१२</td> <td>१३४</td> </tr> <tr> <td>११</td> <td>चालक यंत्र चालक, अग्निशमन विभाग</td> <td>४२</td> <td>१४</td> <td>२८</td> </tr> <tr> <td>१२</td> <td>लघुटंक लेखक</td> <td>९</td> <td>-</td> <td>४</td> </tr> <tr> <td>१३</td> <td>तारतंत्री</td> <td>२४</td> <td>२०</td> <td>४</td> </tr> </table> <p>शासनाने महानगरपालिकेसाठी २८५२ पदांचा आकृतीबंध मंजूर केला आहे. वरील कोष्टकातील नमुद पदांव्यतीरीक्त आकृतीबंधातील अन्य मंजूर रिक्त पदांवर कर्मचाऱ्यांची अभिकर्त्यांमार्फत कंत्राटी पध्दतीने नेमणुक करण्यास, तसेच वेळोवेळी कामाची निकड लक्षात घेऊन, जी कामे गरजेनुसार आऊटसोर्सिंग तत्वावर करणे आवश्यक आहे, अशी कामेसुध्दा विहित पध्दतीने ठेकेदाराची नेमणुक करून पार पाडण्यास ही महासभा मान्यता देत आहे.</p> <p>अनुमोदक - रूपेश जाधव सुचक - फ्रान्सिस डिसोजा (आपटे) ठराव सर्वानुमते मंजूर</p> | २ | ग्रंथपाल | २ | - | २ | ३ | सहा.ग्रंथपाल | ८ | १ | ७ | ४ | आरोग्य निरीक्षक | ४८ | ७ | ३९ | ५ | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) | १३५ | - | ७० | ६ | कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) | २९ | १ | ५ | ७ | कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक) | ८ | - | २ | ८ | कनिष्ठ अभियंता (Computer Software) | ७ | - | १ | ९ | कनिष्ठ अभियंता (Computer Hardware) | २ | - | १ | १० | फायरमन | १४७ | १२ | १३४ | ११ | चालक यंत्र चालक, अग्निशमन विभाग | ४२ | १४ | २८ | १२ | लघुटंक लेखक | ९ | - | ४ | १३ | तारतंत्री | २४ | २० | ४ |
| २ | ग्रंथपाल | २ | - | २ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | सहा.ग्रंथपाल | ८ | १ | ७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | आरोग्य निरीक्षक | ४८ | ७ | ३९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) | १३५ | - | ७० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) | २९ | १ | ५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक) | ८ | - | २ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८ | कनिष्ठ अभियंता (Computer Software) | ७ | - | १ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९ | कनिष्ठ अभियंता (Computer Hardware) | २ | - | १ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १० | फायरमन | १४७ | १२ | १३४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११ | चालक यंत्र चालक, अग्निशमन विभाग | ४२ | १४ | २८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२ | लघुटंक लेखक | ९ | - | ४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १३ | तारतंत्री | २४ | २० | ४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२ | प्रभाग समिती ई कार्यालय क्षेत्रातील तामतलाव विकसित करणेच्या कामास सुधारीत प्रशासकीय मंजूरी मिळणेबाबत विचार विनिमय करून निर्णय घेणे. | <p>ठराव / निर्णय :- वरील विषयाबाबत सभागृहात सविस्तर चर्चा करणेत आली. वरील कामी तयार करणेत आलेल्या रु. ३,५९,५३,६०५/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास ही सभा सुधारीत प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी देत आहे. त्यानुसार सदर कामाचे अंदाजपत्रकास आवश्यक तांत्रिक मंजूरी घेवून सदरचे काम मुळ ठेकेदाराकडून करून घेणेस, तसेच त्याकामी अनुषंगाने येणा-या इतर अनुषंगीक खर्चास ही सभा प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी देत आहे .</p> <p>अनुमोदक - प्रविण शेटी सुचक - फ्रान्सिस डिसोजा (आपटे) ठराव सर्वानुमते मंजूर</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १३ | महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील प्रभाग समिती एच मधील वॉर्ड नं. ९६ मधील तुळजाभवानी मंदिर उद्यान परिसर | <p>ठराव / निर्णय :- वरीलप्रमाणे प्रस्तावाबाबत सविस्तर चर्चा होऊन उपरोक्त नमुद केलेल्या प्रभाग समिती एच मधील वॉर्ड नं. ९६ मधील तुळजा भवानी मंदिर उद्यान परिसर विकसीत करणेचे कामाचा कार्यादेश देण्यांत आलेला होता. प्रत्यक्षात काम सुरु केलेले होते. प्रत्यक्ष कामाचे वेळी स्थानिक नागरीकांचे मागणी नुसार तलावाचे खोलीत वाढ प्रस्तावित केली त्यामुळे परिमाणात वाढ</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----|---|---|
| | विकसीत करणेचे कामाचे सुधारीत अंदाजपत्रकीय रक्कमेस प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी मिळणेबाबत. | होत आहे. मुळ अंदाजपत्रक रु. १,४६,३०,४९३/- इतके होते. झालेल्या बदलानुसार रु. २,२७,७६,७००/- चे सुधारीत अंदाजपत्रक तयार केलेले आहे. त्यास प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी देण्यांत येत आहे. सदर कामाचे अंदाजपत्रकास तांत्रिक मंजूरी घेऊन सदरचे काम मुळ ठेकेदाराकडून करून घेण्यास ही सभा मंजूरी देत आहे. अनुमोदक - प्रकाश रॉड्रीक्स सुचक - फ्रान्सिस डिसोजा (आपटे) ठराव सर्वानुमते मंजूर |
| १४ | वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या विविध योजनांची व विकास कामांची माहिती नागरीकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी जाहिरातीद्वारे प्रसिद्धी करणेबाबत. | ठराव/निर्णय : प्रस्तावित केल्यानुसार महानगरपालिकेच्या विविध योजनांची व विकासकामाची माहिती नागरीकांना होण्याकरीता ह्या जाहीरात प्रसिद्धीसाठी मे. भागिरथी ट्रान्स कार्पो प्रा. लि. ह्यांच्याकडील परिवहन सेवेच्या ११९ बसेस व ११४ बस स्टॉप कार्यादेश दिल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी भाडेतत्वावर घेण्यास व त्याकामी होणाऱ्या रक्कम रु. १,१२,६५,७५०/- पर्यंतच्या खर्चास तसेच सदरची देयके अदा करण्यास ही सभा मंजूरी देत आहे. अनुमोदक - अब्दुल हक पटेल सुचक - फ्रान्सिस डिसोजा (आपटे) ठराव सर्वानुमते मंजूर |
| १५ | विरार पूर्व विभागातील वाहतुकी संदर्भात झालेल्या बैठकीबाबत. | प्रस्तावाचा निर्णय :- सदर कामी विरार (पू.) साठी वरीलप्रमाणे वाहतुकीचे नियोजन करण्यासाठी प्रस्ताव मा.जिल्हाधिकारी, पालघर ह्यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करण्यात यावा व ह्याबाबत पुढील योग्य ती कार्यवाही मा.आयुक्त ह्यांनी करावी असे ही सभा ठरवित आहे. तसेच याकामी येणाऱ्या खर्चास ही सभा प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देत आहे. अनुमोदक - पंकज ठाकूर सुचक - फ्रान्सिस डिसोजा (आपटे) ठराव सर्वानुमते मंजूर |
| १६ | केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानात वसई विरार शहर महानगरपालिकेस सहभाग घेण्याबाबत. | निर्णय - सदर विषयाबाबत सभागृहात सविस्तर चर्चा करण्यात आली व असे ठरविण्यात आले की, केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानात वसई विरार शहर महानगरपालिकेने सहभाग घ्यावा तसेच सदर अभियाना च्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पात नव्याने लेखाशिर्ष अंतर्भूत करून प्राप्त होणाऱ्या अनुदानसह तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. महानगरपालिकाक्षेत्रात सदर अभियान राबविण्यासाठी विविध प्रकल्पांसाठी DPR तयार करून शासनास पाठविणे या कामी सल्लागार निमणूक करण्यास , व पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, पर्जन्यजलवाहिनी, मलव्यवस्थापन विषयक व त्या अनुषंगिक प्रकल्पाचे नियोजन, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण व अंमलबजावणी प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची शासन निर्णयानुसार नेमणूक करण्यास , महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास ३% इतके प्रकल्प व्यवस्थापन शुल्क प्रमाणे अदा करण्यास, सदर अभियानाच्या अनुषंगाने स्वतंत्र बँक खाते उघडून शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या मंजूर वित्तीय आकृताबंधानुसार महानगरपालिकेचा हिस्सा जमा करण्यास तसेच याबाबत आवश्यक ती सर्व पुढील कार्यवाही करण्याचे अधिकार आयुक्त, वसई विरार शहर महानगरपालिका यांना प्रदान करण्यास हि सभा आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता देत आहे. अनुमोदक - वृंदेश पाटील सुचक - फ्रान्सिस डिसोजा (आपटे) ठराव सर्वानुमते मंजूर |
| १७ | महिला व बालकल्याण कार्यक्रमाच्या | निर्णय :- महिला व बालकल्याण विभागाच्या मागणीनुसार सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षात महिला व बालकल्याण विभागामार्फत |

| | | |
|-----------|--|---|
| | <p>विविध योजना या लेखाशिर्षात निधी वर्ग करून मिळणेबाबत.</p> | <p>राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांकरीता मंजूर निधी अपुरा झाल्यामुळे महिला व बालकल्याण कार्यक्रमाच्या इतर योजना व कार्यक्रम या लेखा शिर्षकात अंदाजे लागणारा २,००,००,०००/- रु निधी वर्ग करून या निधीतून विविध योजना राबविण्यात याव्या या कामी ही सभा सर्वानुमते प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी देत आहे.</p> <p>अनुमोदक - भारती देशमुख सुचक - फ्रान्सिस डिसोजा (आपटे)</p> <p>ठराव सर्वानुमते मंजूर</p> |
| <p>१८</p> | <p>वसई विरार शहर महानगरपालिका हद्दित "स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान" अंतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी PPP तत्वावर सार्वजनिक शौचालये बांधणेसाठी (Pay and use) NGO कडून अर्ज मागविणेकामी मा. सर्वसाधारण सभेची प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत.</p> | <p>प्रस्तावाचा निर्णय :- वसई - विरार शहर महानगरपालिका हद्दित "स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान" अंतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी PPP तत्वावर सार्वजनिक शौचालये बांधणेसाठी (Pay & Use) अशासकीय संस्थाकडून विहित पद्धतीने अर्ज मागविणेसाठी तसेच प्राप्त अर्जानुसार सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचे काम करणेस इच्छुक अशासकीय संस्थाना मा.स्थायी समितीचे मान्यतेने वाटप करणेस ही सभा मंजूरी देत आहे. ह्याबाबत अशासकीय संस्थाशी ५ वर्षांचा नाममात्र रु.१/- वार्षिक भाडेतत्वावर करार करणेत यावा व त्यांची गुणवत्ता तपासून सदर करार ९ वर्षांपर्यंत वाढविणेत यावा तसेच ह्याबाबत इतर सर्व अनुषंगीक निर्णय घेणेचे अधिकार त्याचप्रमाणे नव्याने अतिरिक्त जागा आढळून आल्यास त्या समाविष्ट करणेचे अधिकार मा.आयुक्तांना देणेत येत आहेत.</p> <p>अनुमोदक - पंकज ठाकूर सुचक - फ्रान्सिस डिसोजा (आपटे)</p> <p>ठराव सर्वानुमते मंजूर</p> |
| <p>१९</p> | <p>केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणांच्या अनुषंगाने महानगरपालिका अधिनियमांमध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील गरीबी कमी करण्यासाठी प्रस्तावात सविस्तरपणे नमुद केल्यानुसार गरीबांसाठी मदतीची तरतुद करणे, सार्वजनिक सुरक्षितता, आरोग्य, सोय व शिक्षण यांचे संवर्धन होण्यासाठी उपाययोजना करणे आणि अंध, अपंग व अन्य शारीरिक व्याधीग्रस्त, अनाथ, निराश्रित, विधवा, निराधार, परितक्त्या, घटस्फोटीत महिला, ज्येष्ठ नागरीक, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, मागसवर्गीय, दारिद्र्यरेषेखालील, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, खेळाडू, कलाकार, साहित्यिक यासारख्या समाजातील विविध</p> | <p>निर्णय ठराव:- उपरोक्त प्रस्ताव व त्यात अंतर्भूत असलेल्या वैयक्तिक लाभांच्या योजनासंस्था अन ,ुदान व अन्य सहाय्य , विकास कामे यासाठी प्रस्तावित केलेले आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणेकामी सर्वसाधारणपणे पूर्तता करावयाचे नियम व अटींसह प्रस्तावाची अमंलबजावणी करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी करणेस आजची सर्वसाधारण सभा आर्थिक व प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करित असून यापूर्वीचे प्रलंबीत असलेले आणि विहित नियम व अटींची पूर्तता करित असलेल्या पात्र लाभार्थीना देखील या योजनांचा लाभ देण्यांत यावा अशी आजची सभा सर्वानुमते ठरवीत आहे.</p> <p>अनुमोदक - संजय पिंगुळकर सुचक - फ्रान्सिस डिसोजा (आपटे)</p> <p>ठराव सर्वानुमते मंजूर</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | <p>घटकांच्या कल्याणासाठी व त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या सेवाभावी व विश्वस्त संस्थांना सहाय्य करण्यासाठी सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या योजना आखणे, अस्तित्वातील योजनांमध्ये सुसूत्रता आणणे, त्यात सुधारणा करणे, लाभार्थ्यांसाठी लाभाची रक्कम, सर्वसाधारण नियम व अटी ठरवणे व प्रस्तावांच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी करण्यास मंजूरी देणे.</p> | |
| २० | <p>स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) च्या अंमलबजावणीबाबत.</p> | <p>ठरावाचा निर्णय :- वरील प्रस्तावात अवगत केल्यानुसार स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) या महत्वाकांक्षी योजनेची महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात प्रभावीपणे अंमलबजाणी करण्याच्या अनुषंगाने केलेल्या उपाययोजना व प्रस्तावित उपाय योजनांना ही सभा मान्यता प्रदान करित आहे.</p> <p>अनुमोदक - निलेश देशमुख सुचक - फ्रान्सिस डिसोजा (आपटे)</p> <p>ठराव सर्वानुमते मंजूर</p> |